

अध्याय 4

सार्वजनिक वित्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अनुसार दिसंबर 1993 से एक समेकित निधि बनायी गयी है जो भारत सरकार की निधियों से अलग है। दिल्ली सरकार की समस्त राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियां इस निधि में जमा कराया जाती हैं और सरकार के सभी व्यय इसी निधि से पूरे किये जा रहे हैं।

2. रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार का व्यय बजट मुख्य रूप से अपने स्वयं के कर राजस्व से वित्तपोषित होता है, जिसमें जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टाम्प शुल्क और मोटर वाहन कर से राजस्व संग्रह शामिल है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मदों के तहत ऋण और अनुदान के रूप में भारत सरकार से गैर-कर राजस्व हस्तांतरण होता है। यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि 2020-21 में कुल कर राजस्व का लगभग 68% जीएसटी और वैट से, 14% आबकारी से, 12% स्टाम्प शुल्क से और 6% एम.वी.टी से आया है।
3. कर राजस्व के अलावा, केन्द्र से प्राप्त होने वाली अनुदान सहायता/अन्य प्राप्तियों में ये मद शामिल हैं : (1) केन्द्रीय करों और शुल्कों में हिस्सेदारी के बदले में मिलने वाला अनुदान, (2) जीएसटी के कार्यान्वयन संबंधी क्षतिपूर्ति (3) केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायता अनुदान (4) सामान्य केन्द्रीय सहायता (5) केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष में योगदान (6) चंद्रावल में जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यू.टी.पी) बाहरी सहायता परियोजनाओं के लिए ऋण (7) 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए बढ़ाये गये मुआवजे (8) जमू—कश्मीर के विस्थापितों को राहत।
4. इसी तरह दिल्ली सरकार की पूँजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थानीय निकायों/उपक्रमों/सरकारी कर्मचारियों आदि से ऋणों और अग्रिमों की वसूली तथा भारत सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ) से लघु बचत ऋणों की वसूली भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले ऋण शामिल है।
5. दिल्ली की समेकित निधि से होने वाले व्यय को मोटे तौर पर स्थापना और स्कीम/ कार्यक्रमों/केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों (सीएसएस) सहित परियोजनाओं के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा, स्थापना और स्कीम/ कार्यक्रमों/परियोजनाओं के व्यय को राजस्व और पूँजी खाता शीर्षों के रूप में रखा जाता है। योजना और गैर योजना के अंतर्गत व्यय का वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2017-18 से समाप्त कर दिया गया और अब केवल राजस्व और पूँजी के अंतर्गत व्यय को वर्गीकृत किया जाता है।
6. दिल्ली सरकार के स्थापना राजस्व व्यय के अंतर्गत मुख्य रूप से वेतन और कार्यालय व्यय, भारत सरकार को ब्याज का भुगतान, स्थानीय निकायों को दी जाने वाली धनराशि, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों (पी.एस.ई)/संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान सहायता, राजस्व स्थापना इत्यादि

मद में कुछ वस्तुओं/सेवाओं के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सब्सिडी आदि शामिल हैं। दूसरी ओर, दिल्ली सरकार के स्थापना पूंजीगत व्यय में भारत सरकार को ऋणों की अदायगी, स्थानीय निकायों/सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि को दिये जाने वाले ऋण/अग्रिम आदि शामिल हैं।

7. स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत राजस्व खर्च में मुख्य रूप से उपकरणों की लागत/सहायता अनुदान, सेवा प्रभारों की अदायगी आदि शामिल हैं। दूसरी ओर, स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में जहां सरकारी विभागों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं का पूंजीगत परिव्यय जिन के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की इकिवटी पूंजी आदि एवं स्थानीय निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों आदि को लाभप्रद कार्यक्रमों/परियोजनाओं को उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण और अग्रिम शामिल हैं।
8. दिल्ली विधानसभा ने 31 मई, 2017 को राज्य वस्तु एवं सेवा अधिनियम पारित किया और इस तरह 01.07.2017 से दिल्ली में जीएसटी लागू हो गया। परिणाम स्वरूप, पूर्ववर्ती वैट (पैट्रोलियम, शराब आदि कुछ वस्तुओं को छोड़ कर) और अन्य कर जैसे मनोरंजन कर, विलासिता कर और केबल टीवी कर जीएसटी के अंतर्गत समाहित हो गए। रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने सभी वर्तमान वैट व्यापारियों के वस्तु एवं सेवाकर की नई व्यवस्था में सुचारू परिवर्तन के लिए सभी पुरपोर प्रयास किए। मुद्रित वाउचरों के जरिए संबद्ध जानकारी का सम्प्रेषण, सहायता वाहनों की तैनाती, व्यापारियों से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सम्पर्क, प्रमुख बाजारों में शिविरों का आयोजन, बाजारों में जीएसटी सहायता समितियों का गठन आदि ऐसे महत्वपूर्ण कदम थे, जो व्यापार और कर विभाग द्वारा लिये गए।
9. दिल्ली सरकार के कर संग्रह में 2020–21 (अनंतिम) में 19.53 प्रतिशत की नकारात्मक बढ़ोतरी हुई जबकि 2019–20 में नकारात्मक वृद्धि 0.16 प्रतिशत रही थी। 2020–21 (अनंतिम) में कर राजस्व में गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण आयी। कर राजस्व के सभी घटकों में तेजी से गिरावट दर्ज हुई। मोटर वाहन कर वसूली में 13.96 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। जीएसटी (वैट और विलासिता एवं मनोरंजन आदि अन्य करों सहित) में 19.46 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। राज्य आबकारी के तहत कर संग्रह में 18.94 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 2020–21 (अनंतिम) में सबसे अधिक 22.91 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि स्टाम्प और पंजीकरण कर (भू-राजस्व सहित) ने दर्ज की। 2021–22 में कर संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 46.13 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
10. दिल्ली सरकार को 2020–21 (अनंतिम) में 9500 करोड़ रुपये का लघु बचत ऋण मिला जबकि 2019–20 में यह ऋण 4540.60 करोड़ रुपये का था।
11. पिछले केन्द्रीय वित्त आयोगों की तरह दिल्ली को पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग (15वें सीएफसी) की सिफारिशों के दायरे से बाहर रखा गया है जिसका कार्यकाल 2020–21 से 2025–26 तक का है। इस तरह, पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए की गयी सिफारिशों का लाभ जिसमें केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी, स्थानीय निकायों को अनुदान, राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्रगत अनुदान,

आपदा राहत अनुदान आदि शामिल हैं, संभव है कि दिल्ली को प्राप्त न हो। इस मुद्दे पर रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार भारत सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुकी है कि वह दिल्ली को 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के दायरे में शामिल करने के लिए उपयुक्त उपाय करे। वर्तमान में दिल्ली को केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले में सिर्फ विवेकाधीन अनुदान मिलता है जो 2001-02 से 325 करोड़ रुपये के स्तर पर ठहरा हुआ है।

12. दूसरी ओर संविधान की अपेक्षाओं के अनुसार रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार समय-समय पर गठित किये जाने वाले दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को धनराशि आबंटित कर रही है। दिल्ली में स्थानीय निकायों को धनराशि आबंटित करने का वर्तमान फार्मूला तीसरे दिल्ली वित्त आयोग (जिसका कार्यकाल 2006-07 से 2010-11 था) की सिफारिशों पर आधारित है, जिसका 2015-16 तक विस्तार किया गया था। दिल्ली सरकार ने 2011-12 से 2015-16 और 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए क्रमशः चौथे और पांचवे दिल्ली वित्त आयोग का गठन किया और इन दोनों आयोगों ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिनांक 01/09/2019 के कैबिनेट के निर्णय संख्या 2669 और 2670 के तहत पांचवे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय किया और 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए कर प्राप्तियों का हस्तांतरण चौथे दिल्ली वित्त आयोग की जगह तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी रखने का निर्णय किया व्यवोक्ति सरकार ने चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने का फैसला किया है। यह निर्णय भी किया गया कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि (चौथे दि.वि.आ. की अवधि) के लिए दिल्ली नगर निगमों, दिल्ली छावनी बोर्ड और नई दिल्ली नगर परिषद को तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार किए गए धन हस्तांतरण को अंतिम समझा जाएगा और कोई वसूली नहीं की जाएगी।
13. दिल्ली सरकार ने 1 मार्च 2015 से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सस्ती योजना लागू की है जिसके अंतर्गत प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वालों को मौजूदा दरों में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है और 400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वालों को मौजूदा दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस योजना के अनुसार सरकार ने 2020-21 के दौरान इस मद में 2939.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। सरकार ने दिल्ली में प्रत्येक घरेलू पानी उपभोक्ता को हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध कराने की एक योजना भी मार्च 2015 से लागू की है। तदनुरूप सरकार ने 2019-20 के दौरान पानी उपभोक्ताओं को निःशुल्क पानी मुहैया कराने में आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 600 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
14. दिल्ली ने अपने राजस्व अधिशेष को लगातार बरकरार रखा है हालांकि 2020-21 (अनंतिम) के द्वारान यह घटकर 1449.98 करोड़ हो गया जबकि 2019-20 में यह 7498.79 करोड़ रुपये था। 2021-22 (ब.अ.) के लिए बजट राजस्व अधिशेष 1270.74 करोड़ रुपये है जो जीएसडीपी का 0.14 प्रतिशत है।

15. निजी ऑपरेटरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से चलाई जाने वाली प्राइवेट स्टेज कैरिज बसों के स्थान पर कंपनियों द्वारा क्लस्टर बसें चलाने की एक नयी योजना संचालित की जा रही है ताकि दिल्ली में बसों से सफर करने वालों को बेहतर सेवा और सुरक्षा प्राप्त हो सके। योजना के अनुसार सरकार को संचालन लागत और इस योजना से होने वाली आमदनी के बीच के अंतर की भरपाई करनी पड़ती है। डीटीसी और क्लस्टर बसों में रियायती बस पासों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की भरपाई के अलावा दिल्ली सरकार डीटीसी के संचालन घाटे की भी भरपाई कर रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अक्टूबर, 2019 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है। तदनुसार, 2020-21 के दौरान, सरकार ने डीटीसी को 114.86 करोड़ रुपये और महिलाओं को निःशुल्क यात्रा देने के लिए खर्च को पूरा करने के लिए क्लस्टर बसों को रुपये 102.18 करोड़ जारी किए। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने 2020-21 (अनंतिम) के दौरान रियायती पास के लिए डीटीसी को 78.82 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की।
16. दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने 2010-11 से अपनी संचालन लागत को पूरा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। 2010-11 से किसी भी तरह की सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है, हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा डी.जे.बी ऋण प्रदान किया गया है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान बोर्ड ने राजस्व अधिशेष की स्थिति बनाए रखी। परन्तु, 2016-17, से 2019-20 और 2021-22 (ब.अ.) के दौरान यह स्थिति राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गई।
17. रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने 10 जुलाई, 2010 को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (झूसिब) का गठन किया। बोर्ड झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों को अधिसूचित करने, इस तरह की बस्तियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, झुग्गी-झोपड़ी वासियों के पुनर्वास आदि के कार्य में लगा है। 2020-21 के दौरान रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए बोर्ड को 200 करोड़ रुपये का अर्थोपाय ऋण प्रदान किया।
18. मार्च 2021 के अंत में दिल्ली पर 40696.66 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था जिसमें डीवीबी/डेसू की बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए भारत सरकार से 2013-14 में गैर-योजना ऋण के रूप में प्राप्त 3326.39 करोड़ रुपये की देनदारी भी शामिल थी। इस तरह 2020-21 में दिल्ली सरकार की बकाया देनदारियां जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) का 5.18 प्रतिशत थीं।
19. भारत सरकार से रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को धन का प्रवाह 2020-21 (अनंतिम) में बढ़ कर 11458.60 करोड़ रुपये हो गया, जो 2019-20 में 9473.05 करोड़ रुपये था। अनुदान में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण यह है कि दिल्ली को 2020-21 में आईजीएसटी हस्तांतरण और आईजीएसटी के हिस्से के बदले 3383.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। दिल्ली को केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों (सीएसएस) के लिए मिलने वाली राशि भी 2020-21 में बढ़कर 1441.46 करोड़ रुपये प्राप्त हुई जबकि 2019-20 में इस मद में केवल 1169.48 करोड़ रुपये प्राप्त हुए इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य केंद्रीय सहायता के रूप में दिल्ली को 626 करोड़ रुपये का अनुदान भी प्राप्त हुआ। परन्तु, जीएसटी कार्यान्वयन संबंधी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत अनुदान 2019-20 के 7436.00 करोड़ रुपये से घटकर 2020-21 में 5521.65 करोड़ रुपये रह गया। 2020-21 के दौरान दिल्ली आपदा कार्रवाई कोष के

अंतर्गत 161.49 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। 2020-21 में 1984 के दंगा पीड़ितों और जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए भारत सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

20. दिल्ली सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 (अनंतिम) में 9972.96 करोड़ रुपये रहा, जबकि 2019-20 में यह 3227.79 करोड़ रुपये था, जो कि जी.एस.डी.पी का 1.27% है 2019-20 के 0.41% की तुलना में।
21. इस तरह वर्ष 2020-21 के दौरान दिल्ली का समग्र व्यय उसकी आय की तुलना में कम है।

22. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

- 22.1 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लाभ अंतरण की व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य बैंक खातों के जरिए सब्सिडी/लाभ सीधे लाभार्थियों को अंतरित करना है। सीधे लाभ वितरित होने से रिसाव कम करने, लाभार्थियों के चयन में बढ़ोतरी और लाभार्थी तथा राज्य के बीच बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने में मदद मिलेगी।
- 22.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाना और भारत सरकार तथा रा.रा.क्से. दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित निधियों के वितरण में चोरी रोकना है। डीबीटी के अंतर्गत लाभ या सब्सिडी लाभार्थियों के आंकड़ों की जांच और प्रमाणन के बाद सीधे उनके खाते में अंतरित की जाती है। जांच के लिए आधार संख्या अथवा बायोमीट्रिक इन्पुट का इस्तेमाल किया जाता है और बैंक खाता व्यौरे को उसके साथ जोड़ दिया जाता है।
- 22.3 रा.रा.क्से. दिल्ली में कुल 83 कार्यक्रम डीबीटी के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिनमें से 36 केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं और 47 राज्य की स्कीमें हैं।
- 22.4 दिसम्बर 2021 तक कुल 94.02 प्रतिशत लाभार्थियों (94.45 प्रतिशत लाभार्थी केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत और 89.87 प्रतिशत राज्य की स्कीमों के अंतर्गत) को आधार के साथ जोड़ा जा चुका था। केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में लाभार्थियों को भुगतान केवल पीएफएमएस पोर्टल के जरिए डीबीटी पद्धति से किया जा रहा है।
- 22.5 समाज कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार आधार से सम्बद्ध डीबीटी भुगतान प्रणाली लागू किए जाने से मार्च 2021 तक कुल 65.84 करोड़ रुपये की बचत हुई।
- 22.6 दिल्ली डीबीटी पोर्टल को लाइव बनाया गया है और भारत डीबीटी पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। डीबीटी कार्यान्वयन विभाग दिल्ली डीबीटी पोर्टल पर हर महीने कार्यक्रम वार डीबीटी संबंधी आंकड़े अपलोड करते हैं, जिनकी महीने में एक बार डीबीटी मिशन द्वारा जांच की जाती है।
23. दिल्ली सरकार की निधियों के अंतर-प्रवाह और बहिर्गमन का व्यौरा और उनकी कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय विशेषताएं निम्नांकित अनुच्छेदों में दी गई हैं :

24. राजस्व प्राप्तियां

- 24.1 2011 की जनगणना के अनुसार 2001–2011 के दशक के दौरान दिल्ली की आबादी में 21.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी जबकि इसी अवधि में अखिल भारतीय आबादी की वृद्धि का प्रतिशत 17.67 रहा। इस तरह बढ़ी हुई जनसंख्या वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह दिल्ली के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति के वास्ते अपने राजस्व में बढ़ोतरी करे।
- 24.2 राजस्व प्राप्तियों को मोटे तौर पर कर राजस्व, गैर—कर राजस्व और केन्द्र सरकार की ओर से अनुदान सहायता तथा अन्य प्राप्तियों में बांटा जा सकता है। दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों की स्थिति विवरण 4.1 और चार्ट 4.1 तथा 4.2 में दी गयी है। (और विवरण के लिए तालिका 4.1 देखें)

विवरण 4.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रु.)


क्र सं	मद	2011-12	2018-19	टीजीआर 2011-19	2019-20	2020-21 (अनंति)	2021-22 (ब.अ.)
1	स्टेम्प और पंजीयन (भूमि राजस्व सहित)	2240.27	4458.73	8.18	4609.01	3552.98	5000.00
2	राज्य आबकारी	2533.72	5028.19	10.13	5068.01	4108.15	6000.00
3	बैट	13750.95	5885.75	-8.09	5474.67	4411.20	6200.00
4	राज्य वस्तु और सेवा कर	NA	19186.57	NA	19464.95	15676.15	23800.00
5	वाहनों पर कर	1049.19	2054.75	10.20	1948.09	1676.18	2000.00
6	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	397.54	10.68	-26.42	1.14	0.67	0.00
क	कर राजस्व (1 से 6)	19971.67	36624.67	8.73	36565.87	29425.33	43000.00
ख	गैर—कर राजस्व	460.86	644.17	1.80	1096.89	979.67	1000.00
ग	केंद्र से अनुदान तथा अन्य प्राप्तियाँ	1960.64	5843.77	15.65	9473.05	11458.60	9070.10
घ	कुल राजस्व प्राप्तियां (क से ग तक)	22393.17	43112.61	9.26	47135.81	41863.60	53070.10

स्रोत : 1. 2011–12 से 2019–20 के आंकड़े राराक्षेत्र सरकार दिल्ली के वित्तीय लेखे से हैं।
2. 2020–21 और 2021–22 के आंकड़े रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट दस्तावेज से लिए गए हैं।

नोट : टीजीआर – ड्रेंड ग्रोथ रेट (प्रतिशत)

चार्ट 4.1
2018–19 से 2021–22 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्ति


(करोड़ रु.)



- 24.3 2020–21 में दिल्ली सरकार की कुल राजस्व वसूली 41,863.60 करोड़ रु. (जीएसडीपी का 5.33 प्रतिशत) थी जबकि 2019–20 में यह 47,135.81 करोड़ रु. (जीएसडीपी का 5.94 प्रतिशत) थी। 2020–21 (अनंतिम) के दौरान राजस्व प्राप्तियों में महत्पूर्ण गिरावट आई और उनमें 11.19 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई, जिसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी है। यहां यह उल्लेख करना भी संगत है कि 2020–21 के दोरान, करसंग्रह में 19.53 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि 2019–20 यह गिरावट 0.16 प्रतिशत थी। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वयं के गैर कर राजस्व में भी 2020–21 के दोरान 10.69 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज हुई जबकि 2019–20 में इसमें 70.28 प्रतिशत की नकारात्मक बढ़ोतरी हुई थी। केंद्र से मिलने वाले अनुदानों/अन्य प्राप्तियों में 2020–21 में भारी गिरावट आई जो 2019–20 के 62.11 प्रतिशत की तुलना में घटकर 20.96 प्रतिशत रह गए। वर्ष 2021–22 (ब.अ.) के लिए राजस्व वसूली का लक्ष्य 53070.10 करोड़ रुपये रखा गया था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 26.77 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

चार्ट 4.2
2021-22 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रु.)



- 24.4 चार्ट 4.2 में 2021-22 के दौरान कर राजस्व; स्वयं का गैर-कर राजस्व और केन्द्र से सहायता अनुदान प्राप्तियाँ दर्शाया गया है। 2021-22 में दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों का मुख्य स्रोत कर राजस्व था जो 43000 करोड़ रु. (81.03 प्रतिशत) रहा था। इसके बाद केन्द्र से अनुदान/प्राप्तियों के रूप में 9070.10 करोड़ रु. (17.09 प्रतिशत) और गैर-कर राजस्व के रूप में 1000 करोड़ रु. (1.88 प्रतिशत) का स्थान था।

25. कर राजस्व

- 25.1 2021-22 (ब.अ.) में दिल्ली सरकार का लक्षित कर राजस्व 43000 करोड़ रु. रखा गया था जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 46.13 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान था। दिल्ली सरकार का कर राजस्व 2020-21 में 29425.33 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 3.75 प्रतिशत) था जबकि 2019-20 में यह 36565.87 करोड़ रु. (जीएसडीपी का 4.61 प्रतिशत) था। दिल्ली के कर राजस्व में 2020-21 में 19.53 प्रतिशत की नकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज हुई जबकि 2019-20 में यह 0.16 प्रतिशत की मामूली नकारात्मक वृद्धि थी। 2020-21 के दौरान दिल्ली के कर राजस्व की मुख्य मदों में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी (जिनमें वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर, मनोरंजन, सट्टेबाजी और विलासिता कर भी शामिल है) था, जिससे 15676.82 करोड़ रुपये (53.28 प्रतिशत) आमदनी हुई, इसके बाद मूल्य संवर्धित कर (वैट) का स्थान था, जिससे 4411.20 करोड़ रुपये (14.99 प्रतिशत) प्राप्त हुए, इसके बाद राज्य आबकारी, जिससे 4108.15 करोड़ रु. (13.96 प्रतिशत), स्टांप और पंजीयन शुल्क से 3552.98 करोड़ रु. (12.07 प्रतिशत), मोटर वाहन कर से 1676.18 करोड़ रुपये (5.70 प्रतिशत) की आमदनी शामिल है। 2017-18 से 2020-21 (अनंतिम) के दौरान विभिन्न करों की वसूली का व्यौरा निम्नलिखित विवरण 4.2 में दिया गया है। (कृपया चार्ट 4.3 और तालिका 4.1 देखें)।

विवरण 4.2
दिल्ली सरकार की कर वसूली : 2017-18 से 2020-21(अनंतिम)


(करोड़ रु.)

क्र. सं	मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अनंतिम)	
		वास्तविक			अनंतिम	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)				
1	स्टाम्प और पंजीयन (भू राजस्व सहित)	4118.58	4458.73	4609.01	3552.98	30.92	8.26	3.37	-22.91	
2	राज्य आबाकारी	4453.49	5028.19	5068.01	4108.15	4.75	12.90	0.79	-18.94	
3	वैट	11149.17	5885.75	5474.67	4411.20	-47.27	-47.21	-6.98	-19.43	
4	राज्य वस्तु और सेवा कर	13620.84	19186.57	19464.95	15676.15	NA	40.86	1.45	-19.46	
5	वाहनों पर कर	2115.76	2054.75	1948.09	1676.18	16.97	-2.88	-5.19	-13.96	
6	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	259.18	10.68	1.14	0.67	-67.17	-95.88	-89.34	-41.17	
कर राजस्व (1 से 6)		35717.02	36624.67	36565.87	29425.33	14.70	2.54	-0.16	-19.53	

नोट : *अन्य कर जुलाई 2017 से जीएसटी में प्रमुख रूप से शामिल हैं।

चार्ट 4.3
2020-21 (अनंतिम) में दिल्ली सरकार का कर राजस्व


(करोड़ रु.)



- 25.2 2017-18 से 2020-21 के दौरान विभिन्न करों की वर्षवार वसूली की स्थिति और आय में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी क्रमशः चार्ट 4.4 और विवरण 4.3 में दिये गये हैं।

चार्ट 4.4
कर वसूली 2017-18 से 2020-21 (अनंतिम)

(करोड़ रु)



विवरण 4.3
2017-18 से 2020-21 (अनंतिम) तक विभिन्न करों की प्रतिशत हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

क्र सं	मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
		वास्तविक		अनंतिम	
1	स्टाम्प और पंजीयन (भू राजस्व सहित)	11.53	12.17	12.60	12.08
2	राज्य आबकारी	12.47	13.73	13.87	13.96
3	वैट	31.22	16.07	14.97	14.99
4	राज्य वस्तु और सेवा कर	38.13	52.39	53.23	53.27
5	वाहनों पर कर	5.92	5.61	5.33	5.70
6	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	0.73	0.03	0.00	0.00
	कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत : वर्ष 2017-18 से 2019-20 के आंकड़े राराक्षे दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखों से और 2020-21 के आंकड़े प्रधान लेखा कार्यालय से लिए हैं।

25.3 2020-21 (अनंतिम) के दौरान कर राजस्व में 19.53 प्रतिशत की नकारात्मक वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई जबकि 2019-20 में इसमें 0.16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई थी। 2020-21 (अनंतिम) में स्टाम्प और पंजीकरण कर (भू-राजस्व सहित) 22.91 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि ने दर्ज हुई जबकि 2019-20 के दौरान इसमें 3.37 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी। राज्य आबकारी संग्रह में 2020-21 में 18.94 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी। राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्ति में भी 2020-21 के दौरान 19.46 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई जबकि 2019-20 के दौरान इसमें 1.45 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी। वैट की वसूली में 2020-21 के दौरान 19.43 प्रतिशत की नकारात्मक बढ़ोतारी हुई जबकि 2019-20 के दौरान इसमें 6.98 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों में भी 2020-21 के दौरान 41.17 प्रतिशत की नकारात्मक बढ़ोतारी हुई, जबकि 2019-20 के दौरान इनमें 89.34 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई थी। परन्तु मोटर वाहन कर संग्रह में 2020-21 के दौरान 13.96 प्रतिशत की नकारात्मक बढ़ोतारी हुई, जबकि 2019-20 के दौरान इनमें 5.19 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई थी।

26. गैर-कर राजस्व

26.1 दिल्ली सरकार का अपना गैर-कर राजस्व मुख्य रूप से उसके द्वारा अपने स्थानीय निकायों और उपक्रमों को दिये गये ऋणों व अग्रिमों पर मिलने वाले ब्याज, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों पर किये गये निवेश से मिले मुनाफे और लाभांश तथा विभिन्न सरकारी विभागों से वसूले गये सेवा कर/शुल्क/जुर्माने से प्राप्त होता है। विवरण 4.4 और चार्ट 4.5 में दिल्ली सरकार के अपने गैर-कर राजस्व की स्थिति दर्शायी गयी है।

विवरण 4.4

2017-18 से 2021-22 (ब.अ.) के दौरान रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार का स्वयं का गैर-कर राजस्व


(करोड़ रु.)

क्र सं	मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
		वास्तविक			(अनंतिम)	ब.अ.
1	ब्याज प्राप्तियां	396.25	113.46	404.38	467.96	462.36
2	लाभांश और मुनाफा	15.91	14.31	15.84	9.80	20.00
3	सेवा प्रभार	353.90	516.40	676.67	501.91	517.64
	कुल	766.06	644.17	1096.89	979.67	1000.00

स्रोत : विभिन्न वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे और बजट दस्तावेज।

चार्ट 4.5
2017–18 से 2021–22 (ब.अ.) के दौरान स्वयं के गैर–कर राजस्व का विवरण

(करोड़ रुपये में)



26.2 वर्ष 2021–22 (ब.अ.) के लिए गैर कर राजस्व के अंतर्गत बजटीय वसूली 1000 करोड़ रुपये रही। 2020–21 में दिल्ली का स्वयं का गैर–कर राजस्व 979.67 करोड़ रुपये रहा (जीएसडीपी का 0.12 प्रतिशत), जबकि 2019–20 के दौरान यह 1096.89 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.14 प्रतिशत) रहा था। 2020–21 के दौरान दिल्ली सरकार के गैर–कर राजस्व में सेवा शुल्क के रूप में 501.91 करोड़ रुपये (51.23 प्रतिशत) प्राप्त हुए थे। इसके बाद ब्याज के रूप में 467.96 करोड़ रुपये (47.77 प्रतिशत) की आय हुई थी तथा लाभांश व मुनाफे के तौर पर 9.80 करोड़ रुपये (1 प्रतिशत) मिले थे।

27. केन्द्र से सहायता अनुदान/प्राप्तियाँ

- 27.1 राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र ने उन्हें विशेष श्रेणी और गैर–विशेष श्रेणी वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण आमतौर पर राज्यों के राजस्व आधार, सीमावर्ती इलाके आदि के मानदंडों पर आधारित है।
- 27.2 केन्द्र की ओर से दिल्ली को मिलने वाली अनुदान सहायता में केन्द्रीय करों में उसकी भागीदारी के एवज में दिया जाने वाला विवेकाधीन अनुदान, खास उद्देश्यों के लिए स्थापना अनुदान जैसे केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने/वैट लागू करने/जीएसटी के कार्यान्वयन के एवज में क्षतिपूर्ति, दिल्ली के वार्षिक परिव्यय (योजना) के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुदान तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान शामिल हैं। 2017–18 से 2021–22 (ब.अ.) तक दिल्ली को केन्द्र से मिलने वाली अनुदान सहायता का ब्यौरा विवरण 4.5 में दिया गया है।

विवरण 4.5**2017–18 से 2021–22 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार को केन्द्र से सहायता अनुदान/ अन्य प्राप्तियाँ**

(करोड़ रु.)

क्र सं	मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (Prov.)	2021-22 (BE)
1	केन्द्रीय करो में हिस्सेदारी के बदले अनुदान	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
2	1984 के दंगा पीड़ितों को बढ़ा हुआ मुआवजा	10.66	10.59	0.00	0.00	1.50
3	जीएसटी का चरणबद्ध तरीके से हटाये जाने के कारण राजस्व क्षति की भरपाई	690.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4	जम्मू कश्मीर के प्रवासियों को राहत	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
5	जीएसट के कार्यान्वयन के लिए क्षतिपूर्ति	157.00	4182.00	7436.00	5521.65	6000.00
6	डीडीआरएफ	5.00	0.00	0.00	161.49	5.00
7	सामान्य केन्द्रीय सहायता	412.98	449.99	472.00	626.00	626.00
8	केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम	581.74	807.03	1169.48	1441.46	2087.60
9	केन्द्रीय सड़क निधि	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
10	अन्य अनुदान	0.12	69.16*	70.56**	0.00	0.00
11	आईजीएसटी हस्तांतरण और आईजीएसटी अनुपात	0.00	0.00	0.00	3383.00	0.00
कुल अनुदान		2184.19	5843.77	9473.04	11458.60	9070.10
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुदान		0.32	0.79	1.19	1.46	0.98

स्रोत: विभिन्न वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे और बजट दस्तावेज़।

* वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भारत सरकार के विधि, न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त 69.16 करोड़ रुपये में 67.97 करोड़ रुपये दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर परियोजना और 1.19 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दो विशेष अदालतों के गठन के लिए प्राप्त किए गए।

* वित वर्ष 2019–20 के दौरान 70.56 करोड़ रुपये में से 69.26 करोड़ रुपये एनएफएसए के तहत अनाज की अंतर-राज्य आपूर्ति और उचित दर व्यापारियों के लाभ से संबद्ध थे और 1.30 करोड़ रुपये भारत सरकार के विधि, न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान दिल्ली में 02 विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए प्राप्त हुए।

27.3 दिल्ली सरकार को 2020–21 (अनंतिम) में 11458.60 करोड़ रुपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुए, जबकि 2019–20 में उसे इस मद में 9473.05 करोड़ रुपये मिले थे।

28. कर वृद्धिशीलता

28.1 कर वृद्धिशीलता से पता चलता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वृद्धि के आधार पर मापी जा रही अर्थव्यवस्था में कर राजस्व के संदर्भ में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। निम्नलिखित विवरण 4.6 में 2016–17 से 2020–21 (अनंतिम) के दौरान दिल्ली सरकार की कर वसूली में तेजी को दर्शाया गया है।

विवरण 4.6
दिल्ली में कर वृद्धिशीलता

क्र सं	मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (Prov.)
1	स्टाम्प और पंजीयन (भू राजस्व सहित)	-0.71	3.08	0.93	0.45	21.01
2	राज्य आबाकारी	0.03	0.47	1.45	0.10	17.38
3	राज्य वस्तु और सेवा कर	लागू नहीं	लागू नहीं	4.58*		
4	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	1.07	-6.70	-10.75	0.19*	17.86*
5	वैट	0.37	-4.71	-5.29	-0.93	17.83
6	वाहनों पर कर	1.06	1.69	-0.32	-0.69	12.81
कुल		0.26	1.47	0.28	-0.02	17.92

28.2 2020–21 के दौरान दिल्ली की कर वृद्धिशीलता 17.92 थी, जबकि 2019–20 के दौरान यह –0.02 थी। 2019–20 के दौरान कर वृद्धिशीलता सबसे कम स्तर पर थी।

29. कर संग्रह के प्रयास

- 29.1 दिल्ली देश के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में से एक है, लेकिन भारत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के रूप में वर्गीकृत राज्यों में स्वयं के करों/जीएसडीपी अनुपात (3.75 प्रतिशत) के मामले में वह 2020–21 में 18वें स्थान पर रहा।
- 29.2 भारत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के रूप में वर्गीकृत राज्यों में 2021–22 (ब.अ.) में कर/जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में प्रमुख 5 राज्य इस प्रकार रहे—उत्तर प्रदेश (9.80 प्रतिशत), केरल (8.20 प्रतिशत), महाराष्ट्र (8.20 प्रतिशत), तेलंगाना (8.20 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (8.00 प्रतिशत)। 2021–22 (ब.अ.) के दौरान का दिल्ली का कर/ जीएसडीपी अनुपात 4.65 प्रतिशत रहा। निम्नांकित विवरण में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में दिल्ली के कर राजस्व की स्थिति अर्थात् सभी राज्यों के बीच उसका स्थान दर्शाया गया है।

विवरण 4.7

दिल्ली और सभी राज्यों के जीएसडीपी/जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व की तुलना

(करोड़ रु.)

क्र सं	वर्ष	दिल्ली		सभी राज्य	
		कर राजस्व	जीएसडी का %	कर राजस्व	जीएसडी का प्रतिशत
1	2011-12	19972	5.81	532270	6.09
2	2012-13	23432	5.99	625930	6.29
3	2013-14	25919	5.84	712419	6.34
4	2014-15	26604	5.38	779278	6.25
5	2015-16	30225	5.49	847145	6.15
6	2016-17	31140	5.05	912911	5.93
7	2017-18	35717	5.27	1130460	6.61
8	2018-19	36625	4.96	1214840	6.43
9	2019-20	36566	4.61	1223990	6.10
10	2020-21 (अनंतिम)	29425	3.75	1241120	6.27
11	2021-22 (ब.अ.)	43000	4.65	1594670	6.74

ज्ञोतः भारतीय रिजर्व बैंक – राज्य वित्त बजट का एक अध्ययन और दिल्ली के आंकड़ों के लिए 2011-12 से 2019-20 और 2021-22 (ब.अ.) के वित्त खातों और 2020-21 से राराक्षे दिल्ली सरकार के प्रधान लेखा कार्यालय से।

30. राजस्व व्यय

30.1 दिल्ली सरकार के राजस्व व्यय में वेतन, कार्यालय खर्च, संस्थाओं/स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता/सब्सिडी और भारत सरकार को ब्याज की अदायगी आदि शामिल हैं। दिल्ली सरकार की राजस्व खर्च की स्थिति विवरण 4.8 और चार्ट 4.6 में प्रदर्शित की गयी है।

विवरण 4.8

2012-13 से 2021-22 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार का राजस्व व्यय (स्थापना और योजना/परियोजना)


(करोड़ रु.)

क्र सं	वर्ष	स्थापना व्यय	स्थापना व्यय (अर्थात् कॉलम 3 में से में से ब्याज भुगतान)	कार्यक्रम और स्कीम/परियोजनाएं	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2012-13	14160.64	2862.88	6498.72	20659.36
2	2013-14	14904.25	2824.29	7462.28	22366.53
3	2014-15	15563.19	2774.00	7946.30	23509.49
4	2015-16	17963.23	2809.81	8379.32	26342.55
5	2016-17	20593.36	2882.52	8487.59	29081.55
6	2017-18	24446.47	2870.67	9307.55	33754.02
7	2018-19	26799.82	2867.11	10051.76	36851.58
8	2019-20	27394.79	2751.87	12242.22	39637.02
9	2020-21 (अनंतिम)	28878.92	2873.83	11534.70	40413.62
10	2021-22 (ब.अ.)	26708.33	3334.21	25091.03	51799.36

ज्ञोतः 2012-13 से 2019-20 के आंकड़े वित्तीय लेखों से, 2020-21 के आंकड़े प्रधान लेखा कार्यालय से और 2021-22 (ब.अ.) के आंकड़े रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट दस्तावेज से लिए गये हैं।

चार्ट 4.6
**2012-13 से 2020-21 और 2021-22 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार का
राजस्व खर्च (योजना और गैर योजना) (कार्यक्रम/स्कीम और स्थापना)**

(करोड़ रुपये में)



नोट: वित्त वर्ष 2017-18 के बाद से योजना / गैर योजना द्विभाजन को राजकोषीय सुधार के रूप में दूर किया गया था।

- 30.2 दिल्ली सरकार का कुल राजस्व व्यय 2020-21 (अनंतिम) में 40413.62 करोड़ रु. था और इसकी वृद्धि दर 1.96 प्रतिशत थी। विवरण 4.9 में वर्ष 2017-18 से 2020-21 (अनंतिम) दौरान राजस्व व्यय में प्रतिशत वृद्धि दर्शायी गयी है।

विवरण 4.9
दिल्ली सरकार के राजस्व खर्च में वृद्धि

(प्रतिशत)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (Prov.)
कुल राजस्व व्यय	16.07	9.18	7.56	1.96

31. भारत सरकार को ब्याज का भुगतान

- 31.1 वर्ष के दौरान सरकार की ब्याज की देनदारी पिछले साल के इसके बकाया कर्ज की राशि पर निर्भर है। दिल्ली सरकार ने 2020-21 (अनंतिम) में 2873.83 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया जो वर्ष के दौरान इसके कर राजस्व का 9.77 प्रतिशत है। मार्च 2020 के अंत तक दिल्ली सरकार पर कर्ज की बकाया देनदारी 34461.83 करोड़ रुपये की थी और इसमें डीवीबी/डेसू की बकाया देनदारियों को चुकता करने के लिए 2013-14 में भारत सरकार से मिला 3326.39 करोड़ रुपये का गैर-योजना ऋण भी शामिल था। 2013-14 में भारत सरकार से मिले 3326.39 करोड़ रुपये के उक्त गैर-योजना ऋण के भुगतान के बारे में अंतिम रूप से फैसला नहीं हो पाया है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से उक्त राशि को अनुदान सहायता में परिवर्तित करने का बार बार अनुरोध

किया है। कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में दिल्ली सरकार की ब्याज भुगतान की स्थिति निम्नलिखित विवरण में प्रदर्शित की गयी है।

विवरण 4.10 कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	वर्ष	राजस्व	ब्याज भुगतान	(%)
1	2010-11	16477.75	2579.52	15.65
2	2011-12	19971.67	2917.26	14.61
3	2012-13	23431.52	2862.88	12.22
4	2013-14	25918.69	2824.29	10.90
5	2014-15	26603.90	2774.00	10.43
6	2015-16	30225.16	2809.81	9.30
7	2016-17	31139.89	2882.52	9.26
8	2017-18	35717.02	2870.67	8.03
9	2018-19	36624.67	2867.11	7.82
10	2019-20	36565.87	2751.87	7.52
11	2020-21 (अनंतिम)	29425.33	2873.83	9.77
12	2021-22 (ब.अ.)	43000.00	3334.21	7.75

32. स्थानीय निकायों को धनराशि हस्तांतरण

32.1 दिल्ली में स्थानीय निकायों (जैसे दिल्ली नगर निगम या इसकी उत्तराधिकारी संस्थाओं और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद) को धनराशि का आवंटन दिल्ली वित्त आयोग (डीएफसी) की सिफारिशों के आधार पर सरकार के फैसले से किया जा रहा है। स्थानीय निकायों को धनराशि के आवंटन के तहत बुनियादी करों में भागीदारी (यानी दिल्ली सरकार की शुद्ध कर आय में हिस्सेदारी) और शिक्षा, पुनर्वास बस्तियों आदि के रख-रखाव जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए गैर-योजना (2016-17 तक और उसके बाद 2017-18 से स्थापना) अनुदान शामिल है। दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) की गणना स्थानीय निकाय के रूप में नहीं होती मगर उसको भी धनराशि का आवंटन दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है।

32.2 2006-11 तक के कार्यकाल वाले तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार के फैसले से तय किए गए स्थानीय निकायों के लिए धन हस्तांतरण फार्मूले को 2011-12 से 2016-17 के लिए भी बढ़ा दिया गया है। तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली सरकार को करों से मिलने वाली 4 प्रतिशत शुद्ध राशि स्थानीय निकायों को उनकी बुनियादी कर हिस्सेदारी के रूप में हस्तांतरित की गई जबकि शुद्ध कर आय की 5 प्रतिशत राशि शिक्षा/पुनर्वास बस्तियों का खर्च पूरा करने के लिए गैर-योजनागत 2016-17 तक और उसके बाद 2017-18 से स्थापना) अनुदान के रूप में दी जा रही है। इसी तरह शुद्ध कर आमदनी की 1.5 प्रतिशत राशि नगरपालिका सुधार निधि में दिल्ली नगर निगम के उत्तराधिकारियों और नई दिल्ली नगर पालिका

परिषद के लिए उनकी आमदनी और खर्च में सुधार की शर्त पर उपलब्ध करायी गई। चौथे दिल्ली वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप दी, परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिनांक 01/01/2019 के कैबिनेट के निर्णय संख्या 2669 और 2670 के तहत पांचवे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय किया। पहले, दूसरे और तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान स्थानीय निकायों को धन हस्तांतरण दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण 4.11

दिल्ली में स्थानीय निकायों को धनराशि का हस्तांतरण

(करोड़ रु.)

क्र	ब्यौरा	प्रथम दिल्ली वित्त आयोग की अवधि (1996-01)	द्वितीय दिल्ली वित्त आयोग की अवधि (2001-06)	तृतीय दिल्ली वित्त आयोग की अवधि (2006-11)		
				2006-08 (दूसरे डीएफसी की सिफारिश के आधार पर)	2008-11 (तीसरे डीएफसी की सिफारिश के आधार पर)	2006-11 कुल
1	सहायता अनुदान					
	क. एमसीडी	644.53	1380.34	1035.11	2577.74	3612.85
	ख. एनडीएमसी	48.83	91.50	64.42	170.67	235.09
	ग. डीसीबी	4.82	7.08	3.89	14.31	18.20
	घ. कुल	698.18	1478.92	1103.42	2762.72	3866.14
2	बुनियादी कर में हिस्सेदारी					
	क. एमसीडी	872.01	1576.83	1151.18	1456.30	2607.48
	ख. एनडीएमसी	44.60	51.13	38.09	39.92	78.01
	ग. डीसीबी	11.15	22.93	12.30	18.67	30.97
	घ. कुल	927.76	1650.89	1201.57	1514.89	2716.46
3	कुल					
	क. एमसीडी	1516.54	2957.17	2186.29	4034.04	6220.33
	ख. एनडीएमसी	93.43	142.63	102.51	210.59	313.10
	ग. डीसीबी	15.97	30.01	16.19	32.98	49.17
	घ. कुल	1625.94	3129.81	2304.99	4277.61	6582.60

- 32.3 तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के कार्यकाल (2006-11) के दौरान स्थानीय निकायों को 6582.60 करोड़ रुपये संवितरित किये गये जिससे दूसरे दिल्ली वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान संवितरित राशि में 110.32 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है। तीसरे आयोग के कार्यकाल में संवितरित कुल 6582.60 करोड़ रुपये में से 6220.33 करोड़ रुपये (94.5 प्रतिशत) दिल्ली नगर निगम को दिये गये और 313.10 करोड़ रुपये (4.8 प्रतिशत) एनडीएमसी को और 49.17 करोड़ रुपये (0.7 प्रतिशत) दिल्ली छावनी बोर्ड को संवितरित किये गये।
- 32.4 दिल्ली नगर निगम का तीन हिस्सों में विभाजन किया गया है और दिल्ली सरकार की 13 जनवरी, 2012 की अधिसूचना के तहत उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम बनाये गये हैं ताकि दिल्ली के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकें।

निम्नलिखित विवरण से 2013-14 से 2018-19 (अनंतिम) की अवधि में स्थानीय निकायों को धनराशि के आबंटन को वर्षावार दर्शाया गया है।

विवरण 4.12 (क)
दिल्ली में स्थानीय निकायों को वर्षावार धन हस्तांतरण
(करोड़ रु.)

क्र सं	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	प्राथमिक शिक्षा	1058.97	1108.98	1116.90	1291.54	1340.22	1113.19
क	उत्तरी दिननि	452.59	462.81	475.96	550.56	571.36	474.68
ख	दक्षिणी दिननि	345.66	353.46	363.50	420.48	436.36	362.52
ग	पूर्वी दिननि	228.96	234.14	240.79	278.53	289.05	240.14
घ	नदिनप	28.12	33.45	32.25	36.94	38.24	31.55
ड	दिछ्बो	3.64	25.12	4.40	5.03	5.21	4.30
2	माध्यमिक शिक्षा (नदिनप)	35.01	37.25	40.23	46.00	47.61	39.28
3	स्कूल भवन के रख रखाव के लिए	42.39	47.47	48.70	55.68	57.65	47.55
क	उत्तरी दिननि	18.68	20.92	21.46	24.54	25.40	20.95
ख	दक्षिणी दिननि	14.26	15.97	16.39	18.73	19.40	16.00
ग	पूर्वी दिननि	9.45	10.58	10.85	12.41	12.85	10.60
4	पुनर्वास कालोनियों का रख रखाव	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.01
क	उत्तरी दिननि	44.06	44.06	44.06	44.06	44.06	33.05
ख	दक्षिणी दिननि	33.65	33.65	33.65	33.65	33.65	25.24
ग	पूर्वी दिननि	22.29	22.29	22.29	22.29	22.29	16.72
5	पूजी आस्तियों का रख रखव	43.77	41.01	50.29	57.50	59.51	49.40
क	उत्तरी दिननि	16.11	18.04	18.51	21.16	21.90	18.07
ख	दक्षिणी दिननि	16.11	18.04	18.51	21.16	21.90	18.07
ग	पूर्वी दिननि	10.17	11.39	11.68	13.37	13.83	11.71
घ	नदिनप	1.38	-6.46	1.59	1.81	1.88	1.55
6	घोबी घाट का निर्माण (नदिनप)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.0	0.0
7	बुनियादी कर समुदेशन	804.50	893.66	958.90	1022.43	1093.94	2364.99
क	उत्तरी दिननि	270.25	302.66	332.93	332.64	367.48	894.72
ख	दक्षिणी दिननि	346.70	388.29	398.36	455.50	471.44	388.94
ग	पूर्वी दिननि	146.04	163.55	179.91	179.75	198.57	1034.76
घ	नदिनप	26.19	22.00	30.10	34.41	35.62	29.39
ड	दिछ्बो	15.32	17.16	17.60	20.13	20.83	17.18
8	नगरीय सुधार निधि (एमआरएफ)	0.00	0.00	0.00	374.00	446.34	490.00
क	उत्तरी दिननि	0.00	0.00	0.00	145.30		
ख	दक्षिणी दिननि	0.00	0.00	0.00	118.00		
ग	पूर्वी दिननि	0.00	0.00	0.00	110.70		
	कुल (एमआरएफ को छोड़कर अंतरण)	2084.74	2228.47	2315.12	2573.25	2698.93	3689.42

स्रोत : प्रधान लेखा अधिकारी, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार

लागू नहीं

लागू नहीं

32.5 दिनांक 01.01.2019 के कैबिनेट के निर्णय संख्या 2670 के अनुसार यह तय किया गया कि पांचवे डीएफसी की सिफारिशों के अनुसार कर राजस्व की निवल प्राप्ति स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जायेगी। इस प्रकार यह तय किया गया कि निवल कल संग्रह का 12.5% धन हस्तांतरित किया जायेगा। इसमें 6 प्रतिशत बुनियादी कर समुदेशन होगा और 6.5 प्रतिशत क्षेत्र विषयक अनुदान जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास अनुदान शामिल होंगे। तदनुरूप 2019-20 से 2021-22 (ब.अ.) में स्थानीय निकायों को धन का हस्तांतरण/आवंटन इस प्रकार रहा :

विवरण 4.12 (ख)
दिल्ली में स्थानीय निकायों को वर्षवार धन हस्तांतरण
वर्ष 2019-20, 2020-21(अनंतिम) और 2021-22(ब.अ.)

(करोड़ रु.)

क्र सं	मद	2019-20	2020-21 (अनंतिम)	2021-22 (ब.अ.)
(अ)	बुनियादी कर समुदेशन	2520.70	2068.73	2068.73
क	उत्तरी दिननि	872.03	764.81	764.81
ख	दक्षिणी दिननि	409.52	405.26	405.26
ग	पूर्वी दिननि	1207.68	864.83	864.83
घ	नदिनप	17.57	20.07	20.07
ड	दिछबो	13.90	13.76	13.76
(आ)	क्षेत्र विषयक अनुदान			
1	शिक्षा क्षेत्र (एमडीएम सहित)	1516.43	1322.34	1533.60
क	उत्तरी दिननि	661.33	607.01	678.00
ख	दक्षिणी दिननि	460.92	403.94	474.70
ग	पूर्वी दिननि	391.57	309.72	376.65
घ	नदिनप	2.50	1.37	2.65
ड	दिछबो	0.11	0.30	1.60
2	स्वास्थ्य क्षेत्र	260.75	231.62	296.00
क	उत्तरी दिननि	135.75	110.65	150.00
ख	दक्षिणी दिननि	55.00	56.17	65.00
ग	पूर्वी दिननि	70.00	64.80	81.00
3	शहरी विकास क्षेत्र	492.40	663.10	610.02
क	उत्तरी दिननि	212.40	307.13	216.80
ख	दक्षिणी दिननि	80.00	94.89	106.20
ग	पूर्वी दिननि	200.00	163.08	189.00
घ	नदिनप	0.00	98.00	98.02
इ	कुल क्षेत्र विषयक अनुदान (1+2+3)	2269.58	2217.06	2439.62
	कुल (अ)+(आ)	4790.28	4285.79	4508.35

* नोट: एमडीएम के लिए रिलीज में अनुदान का केंद्रीय हिस्सा शामिल है

32.6 2020-21 (अनंतिम) के दौरान, कुल 4285.79 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए गए थे, जिसमें से 1789.60 करोड़ रुपये (41.76 प्रतिशत) की राशि उत्तरी दिल्ली नगर निगम, 960.26

करोड़ रुपये (22.40 प्रतिशत) दक्षिण दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित की गई। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए 1402.43 करोड़ रुपये (32.72 प्रतिशत), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड को क्रमशः 119.44 करोड़ रुपये (2.79 प्रतिशत) और 14.06 करोड़ रुपये (0.33 प्रतिशत) हस्तांतरित किए गए। स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के लिए 2021-22(ब.अ.) में 4508.35 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था।


33. राजस्व अधिशेष

- 33.1 दिल्ली की एक खास विशेषता यह है कि इसके पास लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति रही है। 2021-22(ब.अ.) में दिल्ली का राजस्व अधिशेष 1270.74 करोड़ रुपये था। चार्ट 4.7 में 2014-15 से 2021-22(ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व खर्च की स्थिति दर्शायी गयी है।

चार्ट 4.7

दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय

(करोड़ रुपये में)



- 33.2 2012-13 से 2020-21 (ब.अ.) की अवधि के दौरान दिल्ली और देश के अन्य तमाम राज्यों की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व खर्च और राजस्व अधिशेष/घाटे की स्थिति का व्यौरा विवरण 4.13 में दिया गया है। इसके अलावा चार्ट 4.8 में दिल्ली सरकार के राजस्व अधिशेष को दर्शाया गया है।

विवरण 4.13


वर्ष 2012-13 से 2021-22 (ब.अ.) के दौरान सभी राज्यों और
राजकोषीय अधिशेष/घाटा

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	वर्ष	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)		राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-)	
		दिल्ली	सभी राज्य	दिल्ली	सभी राज्य
1	2012-13	4902	20320	-3573	-195470
2	2013-14	5614	-10563	-5268	-247850
3	2014-15	6075	-45704	-1128	-327190
4	2015-16	8656	-5380	-113	-420670
5	2016-17	5264	-40490	-2705	-534330
6	2017-18	4913	-18840	-1569	-410490
7	2018-19	6261	-17769	-1489	-462770
8	2019-20	7499	-121495	-3228	-524710
9	2020-21 (अनंतिम)	1450	-395149	-9973	-931652
10	2021-22 (ब.अ.)	1271	-117779	-14930	-818584
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (जीएसडीपी/जीडीपी का प्रतिशत)					
1	2012-13	1.25	0.20	-0.91	-1.97
2	2013-14	1.26	-0.09	-1.19	-2.21
3	2014-15	1.23	-0.37	-0.23	-2.63
4	2015-16	1.57	-0.04	-0.02	-3.05
5	2016-17	0.85	-0.26	-0.44	-3.47
6	2017-18	0.72	-0.11	-0.23	-2.40
7	2018-19	0.85	-0.09	-0.20	-2.45
8	2019-20	0.94	-0.61	-0.41	-2.61
9	2020-21 (अनंतिम)	0.18	-2.00	-1.27	-4.71
10	2021-22 (ब.अ.)	0.14	-0.50	-1.62	-3.46

- स्रोत : 1. वित्त लेखा, रा.राज्यकोष दिल्ली सरकार, बजट दस्तावेज (2020-21 (ब.अ.) से) /
2. भारतीय रिजर्व बैंक - स्टेट फाइनेंस-ए स्टडी आफ बजट्स 2021-22

चार्ट 4.8
वर्ष 2015–16 से 2021–22 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष
(करोड़ रुपये में)



34. पूंजी प्राप्तियां

34.1 दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से प्राप्त ऋण, स्थानीय निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी कर्मचारियों आदि से ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली आदि शामिल हैं। दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियों के बारे में सूचना निम्नलिखित विवरण में दी गयी है।

विवरण 4.14
वर्ष 2016–17 से 2021–22 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियां
(करोड़ रु.)

क्र सं	स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (Prov.)	2021-22 (BE)
1.	लघु बचत ऋण	1695.53	1906.34	2800.00	4540.60	9500.00	9284.86
2.	ब्लॉक ऋण—जीएसटी प्रतिपूर्ति में कमी के बदले	0.00	0.00	0.00	0.00	5865.00	0.00
3.	ऋण और अग्रिमों की वसूली	212.49	690.42	1643.90	822.65	631.48	1000.00
4.	ईएपी के तहत ऋण	0.00	0.00	80.00	225.00	0.00	0.01
कुल पूंजी प्राप्तियां		1908.02	2596.76	4523.90	5588.25	15996.48	10284.87

नोट : उपरोक्त के अलावा वर्ष 2013–14 में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त गैर-योजना ऋण की 3326.39 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

स्रोत : 1. वर्ष 2016–17 से 2019–20 के आंकड़े राराक्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखा से लिए गये हैं।

2. वर्ष 2020–21 (अनंतिम) के आंकड़े प्रधान लेखा कार्यालय और 2021–22 के आंकड़े राराक्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट दस्तावेज से लिए गए हैं।

34.2 2020-21 (अनंतिम) के दौरान दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्ति 15996.48 करोड़ रुपये थी जबकि इससे पहले साल (2019-20) में पूंजी प्राप्तियाँ 5588.25 करोड़ थीं। 2020-21 में पूंजीगत प्राप्तियों में भारी बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण वर्ष के दौरान अधिक लघु बचत ऋण था, जिसके अंतर्गत 9500.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। जबकि इसकी तुलना में 2019-20 के दौरान 4540.60 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इस दौरान एक अतिरिक्त प्राप्ति 5865.00 करोड़ रुपये की ब्लॉक ऋण के रूप में हुई जो की भारत सरकार के द्वारा जीएसटी प्रतिपूर्ति में कमी के बदले में दी गई। भारत |ऋणों और अग्रिमों की वसूली 2019-20 की 822.65 करोड़ से घटकर 2020-21(अनंतिम) में 631.48 करोड़ रहे गई। 2020-21 (ब.अ.) में बजटीय प्राप्तियाँ 10284.87 करोड़ रुपये थीं।

35. पूंजी खर्च

35.1 दिल्ली सरकार का पूंजी खर्च योजना और गैर-योजना मदों (2016-17 तक) के अंतर्गत होता था। 2017-18 से यह स्कीमों/परियोजनाओं और स्थापना व्यय के रूप में किया जाने लगा है। योजना मद के अंतर्गत आने वाले पूंजी खर्च में सरकार की विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं का पूंजी परिव्यय तथा विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए स्थानीय संस्थाओं/उपक्रमों को दिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं, जबकि गैर-योजना पूंजी खर्च में मुख्य रूप से भारत सरकार को कर्ज की अदायगी और स्थानीय निकायों आदि को दिए गए गैर-योजना ऋण, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं। विवरण 4.15 और चार्ट 4.9 में दिल्ली सरकार के पूंजी संवितरण को दर्शाया गया है।

विवरण 4.15

दिल्ली सरकार का पूंजी व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्र. स.	स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अनंतिम)	2021-22 (ब.अ.)
1.	योजना/ कार्यक्रम व्यय*	5615.97	4883.93	5566.94	8037.59	7688.59	12708.97
2.	गैर योजना/ स्थापना और प्रशासन व्यय*	2565.84	2288.90	3827.37	3511.65	4365.83	4491.67
	किस ऋण अदायगी के संदर्भ में	1654.62	1682.43	3636.35	2811.10	3265.17	4265.17
कुल पूंजी व्यय		8181.81	7172.83	9394.31	11549.24	12054.42	17200.64

नोट : 2017-18 से योजना और गैर योजना व्यय का विलय कर दिया गया और योजना के स्थान पर स्कीम/परियोजनाएं और गैर योजना के स्थान पर स्थापना के रूप में वर्गीकरण किया गया है।


स्रोत : 1. वर्ष 2016-17 से 2019-20 के आंकड़े राराक्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखा से लिए गये हैं।

2. वर्ष 2020-21 (अनंतिम) के आंकड़े प्रधान लेखा कार्यालय और 2021-22 के आंकड़े राराक्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट दस्तावेज से लिए गए हैं।

चार्ट 4.9

दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय

(करोड़ रुपये में)



35.2 2020–21 (अनंतिम) के दौरान दिल्ली सरकार का कुल पूंजी खर्च 12054.42 करोड़ रुपये था जो 52468.04 करोड़ रुपये के कुल खर्च का 22.97 प्रतिशत है। 12054.42 करोड़ रुपये के कुल पूंजी खर्च में से वर्ष 2020–21(अनंतिम) के दौरान स्कीमों/परियोजनाओं के अंतर्गत व्यय 7688.59 करोड़ रुपये (63.78 प्रतिशत) रहा और बाकी 4365.83 करोड़ रुपये (36.22 प्रतिशत) स्थापना और प्रशासन मद के अंतर्गत व्यय हुआ। 2021–22 (ब.अ.) के लिए कुल बजटीय पूंजी व्यय 17200.64 करोड़ रुपये रहा, जो 69000 करोड़ रुपये के कुल व्यय का 24.93 प्रतिशत है।

36. सार्वजनिक ऋण

36.1 विवरण 4.16 से दिल्ली सरकार के बकाया कर्ज और उसकी कर्ज चुकाने संबंधी देनदारियों को दर्शाया गया है।

विवरण 4.16

2011-12 से 2020-21 के दौरान रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के सार्वजनिक ऋण

(करोड़ रु.)

क्र.सं	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में बकाया ऋण	प्राप्त	अदा किए गए	वर्ष के अंत में बकाया
1	2011-12	30140.07	556.08	1087.88	29608.27
2	2012-13	29608.27	922.41	1287.99	29242.7
3	2013-14	29242.7	4162.9	1325.29	32080.31
4	2014-15	32080.31	1764.32	1346.72	32497.91
5	2015-16	32497.91	2241.13	1435.18	33303.86
6	2016-17	33303.86	1695.53	1654.62	33344.77
7	2017-18	33344.77	1906.34	1682.43	33568.68
8	2018-19	33568.68	2800.00	3636.35	32732.33
9	2019-20	32732.33	4540.60	2811.10	34461.83
10	2020-21 (अनंतिम)	34461.83	9500.00	3265.17	40696.66

स्रोत : 1. वर्ष 2011-12 से 2019-20 के आंकड़े राजक्षेत्र दिल्ली सरकार की 2020-21 की विस्तृत अनुदान मांगों से लिए गये हैं।

2. वर्ष 2020-21 के आंकड़े राजक्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान लेखा कार्य से लिए गए हैं।


36.2 मार्च 2021 के अंत तक दिल्ली सरकार पर 40696.66 करोड़ रुपये के कर्ज बकाया थे जिसमें 2013-14 के दौरान प्राप्त हुआ 3326.39 करोड़ रुपये का बिजली ऋण भी शामिल था। इस तरह के बकाया कर्ज राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से लघु बचत ऋण प्राप्त होने की वजह से पैदा होते हैं। इसी तरह 2013-14 में डेसू/डीवीबी की बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए भी भारत सरकार से बिजली ऋण प्राप्त किया गया। इन बकाया कर्जों की वजह से दिल्ली सरकार ने 2020-21 में भारत सरकार को ब्याज के रूप में 2873.83 करोड़ रुपये और 3265.17 करोड़ रुपये के मूलधन का भुगतान किया।

37. राजकोषीय घाटा/अधिकोष

37.1 राजकोषीय घाटा सारांश रूप में एक ऐसा सांख्यिकीय उपाय है जो तमाम स्रोतों से सरकार की कर्ज लेने की आवश्यकता को दर्शाता है। दिल्ली सरकार के राजकोषीय घाटे में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जो 2019-20 के 3227.79 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 2020-21(ब.अ.) के दौरान 9972.96 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। चार्ट 4.10 में 2016-17 से 2021-22 तक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा/अधिकोष दर्शाया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 (ब.अ.) में 14929.90 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा दर्शाया, जो जीएसडीपी का 1.62 प्रतिशत है।

चार्ट 4.10
दिल्ली के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल वित्तीय घाटा/अधिशेष

(अनंतिम)




38. प्राथमिक घाटा

- 38.1 प्राथमिक घाटा (यानी ब्याज भुगतान का निवल राजकोषीय घाटा) कुल मौजूदा खपत और निवेश खर्च को पूरा करने के लिए सरकार की कर्ज हासिल करने की शुद्ध आवश्यकताओं का पैमाना है। दिल्ली सरकार का प्राथमिक घाटा 2019-20 में 475.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 7099.13 करोड़ रुपये हो गया। परन्तु दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 (ब.अ.) में 11595.65 करोड़ रुपये का प्राथमिक घाटा दर्शाया। चार्ट 4.11 में 2016-17 से 2021-22 (ब.अ.) तक दिल्ली सरकार के प्राथमिक घाटे/अधिशेष को दिखाया गया है।

चार्ट 4.11
दिल्ली सरकार का प्रारंभिक घाटा/अधिशेष

(करोड़ रुपयों में)



39. सरकारी कंपनियों को सहायता

39.1 दिल्ली में सरकारी कंपनियों के वित्तीय कार्य निष्पादन का सरकार के वित्तीय संसाधनों पर असर पड़ता है, क्योंकि इन कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए उन्हें ऋण/अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्थापना व्यय के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली सरकार की वार्षिक योजना के लिए संसाधन उसी मात्रा में कम हो जाते हैं। दिल्ली में विभिन्न सार्वजनिक कंपनियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार है:

(क) दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)

39.1.1 दिल्ली परिवहन निगम को संचालनात्मक घाटा हो रहा है और उसी के अनुसार दिल्ली सरकार को वित्तीय सहायता देकर घाटे की भरपाई करनी पड़ रही है। दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति और उसे दिल्ली सरकार की ओर से दी जाने वाली गैर-योजना सहायता को विवरण 4.17 और चार्ट 4.12 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 4.17

डीटीसी की वित्तीय स्थिति और दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता

(करोड़ रुपये में)


मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (ब.अ.)
1 आमदनी	918.70	889.33	884.28	892.75	509.22	994.59
2 संचालन लागत	2300.49	2619.35	2548.85	2727.42	2956.59	4028.68
संचालन हानि (1-2)	-1381.78	-1730.02	-1664.56	-1834.67	-2447.37	-3034.09
राराक्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहायता						
अनुदान	1550.00	2007.00	1825.00	2030.00	2475.00	3034.00
फ्री पास के लिए दी गई सब्सिडी	65.90	70.18	64.45	90.68	78.82	55.00
महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा देने हेतु सब्सिडी	0.00	0.00	0.00	70.17	114.86	190.00

स्रोत : दिल्ली परिवहन निगम

चार्ट 4.12

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रु.)



39.1.2 दिल्ली परिवहन निगम का संचालन घाटा (यानी राजस्व प्राप्तियों में से स्थापना व्यय को घटा कर और ब्याज भुगतान तथा मूल्यहास को छोड़कर) 2021-22 (ब.अ.) में 3034.09 करोड़ रुपये रहा जो 2020-21 (अनंतिम) में हुए 2447.37 करोड़ रुपये के संचालन घाटे से अधिक है। 2010-11 तक दिल्ली सरकार डीटीसी की कार्यशील हानियों को ऋण देकर पूरा करती थी। लेकिन यह तरीका 2011-12 से बदल दिया गया है और कार्यशील घाटे को पूरा करने के लिए ऋण की बजाय अनुदान दिया जा रहा है।

39.1.3 इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने डीटीसी की ब्याज संबंधी देनदारी की वसूली का पुराना तरीका भी बदल दिया है और उसके स्थान पर 2011-12 से ब्याज को ऋण में तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार अपने निर्देश पर डीटीसी द्वारा जारी किये जाने वाले मुफ्त/रियायती पासों की लागत की भरपाई के लिए सब्सिडी भी देती है। 2020-21 (अनंतिम) में दिल्ली सरकार ने डीटीसी को रियायती पासों के लिए 46.82 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध करायी।

39.2 दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)

39.2.1 1 जनवरी, 2010 से संशोधित जल प्रभार लागू करने के बाद से फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड अपने कामकाजी खर्चों को अपने ही संसाधनों से पूरा कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने 2010-11 से दिल्ली सरकार से कोई गैर-योजना सहायता की मांग नहीं की है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में घरेलू पानी उपभोक्ताओं को मार्च 2015 से हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध कराने की लोकप्रिय सब्सिडी योजना भी लागू की है। उपभोक्ताओं को निःशुल्क पानी उपलब्ध कराने की लागत के रूप में दिल्ली सरकार ने 2020-21 में 600 करोड़ रुपये की सब्सिडी दि.ज.बो को उपलब्ध करायी।

39.2.2 दिल्ली जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति और दिल्ली सरकार द्वारा उसे उपलब्ध करायी जाने वाली पूंजी परियोजना सहायता का ब्यौरा विवरण 4.18 तथा चार्ट 4.13 में दिया गया है।

विवरण 4.18
डीजेबी की वित्तीय स्थिति 2016-17 से 2021-22(ब.अ.) में

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (सं.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां							
1	क.जल ख.	2123.78	1943.16	2148.34	2425.53	3697.14	2666.18
	ख. सीवर सुविधाएं	137.97	141.74	121.86	107.23	135.37	143.90
	ग अन्य	177.19	417.50	267.70	815.81	1481.86	445.30
	कुल	2438.94	2502.40	2537.89	3348.57	5314.37	3255.37
राजस्व व्यय							
2	क. स्थापना	1571.95	1669.38	1766.93	1852.75	1936.08	2164.72
	ख. बिजली	591.71	604.18	558.14	613.12	659.00	685.00
	ग. कच्चा पानी	21.13	26.10	23.73	20.42	44.00	44.00
	घ. संपत्ति कर	9.67	10.40	9.91	0.23	12.00	12.00
	ड. मरम्मत और रखरखाव	177.91	175.03	297.35	1071.45	418.96	444.48
	च. रसायन, भंडार और खरीद	23.55	17.42	29.71	26.11	38.85	39.40
	छ. अन्य	91.84	79.56	87.43	65.16	120.41	120.45
	उपभोक्ताओं को बकाया पर रिवेट	235.87	56.53	0.00	0.00	76.46	0.00
	उपभोक्ताओं को एलपीएसई पर रिवेट	249.07	38.03	0.00	0.00	1278.11	0.00
	कुल राजस्व व्यय	2972.68	2676.64	2773.20	3649.23	4583.87	3510.05
3	कार्यशील अधिशेष/घाटा (ऋण प्रभार और मूल्यहास को छोड़कर) (1-2)	-533.74	-174.24	-235.31	-300.66	730.50	-254.68
कार्यक्रम/परियोजनाएं/योजना आय और व्यय							
4	क. पूँजी आय (धन जारी)	1386.82	1766.37	2625.98	2475.00	3901.00	3033.50
	ख. अ.म.र.उ.त आय	0.00	137.01	0.00	145.46	0.00	0.00
	कुल पूँजी आय (क+ख)	1386.82	1903.38	2625.98	2620.46	3901.00	3033.50
	क. पूँजी व्यय	1380.74	1549.22	1973.56	2350.78	3901.00	3033.50
	ख. अ.म.र.उ.त व्यय	0.00	65.53	90.14	92.06	0.00	0.00
	कुल पूँजी व्यय (क+ख)	1380.74	1614.75	2063.70	2442.84	3901.00	3033.50


स्रोत : दिल्ली जल बोर्ड (उपचयित आधार पर प्रदान किया गया डेटा)

- 39.2.3 उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 (ब.अ.) के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 254.68 करोड़ रुपये का कार्य संचालन घाटा हुआ। इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड को 2016-17 से 2019-20 तक लगातार संचालन घाटा हुआ, जो 2016-17 में 533.74 करोड़ रुपये; 2017-18 में 174.24 करोड़ रुपये; 2018-19 में 235.21 करोड़ रुपये; और 2019-20 में 300.66 करोड़ रुपये रहा। परन्तु, बोर्ड ने 2020-21 के दौरान 730.50 करोड़ रुपये का कार्यशील अधिशेष अर्जित किया।

चार्ट 4.13

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की वित्तीय स्थिति
2016-17 से 2021-22 (ब.अ.)

(करोड़ रु.)



39.3 बिजली कंपनियां

39.3.1 दिल्ली में बिजली क्षेत्र में 2002 से भारी बदलाव हुए हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) के नाम से पुकारे जाने वाले एकमात्र राज्य बिजली बोर्ड के स्थान पर समूचे क्षेत्र को 7 स्वतंत्र कंपनियों में बांटा गया है जिनमें 3 बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम (बीएसईएस—राजधानी, बीएसईएस—यमुना और टीपीडीडीएल), एक ट्रांसमिशन कंपनी (दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड—डीटीएल), दो विद्युत उत्पादन कंपनियां (इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लि.—आईपीजीसीएल और प्रगति पावर कार्पोरेशन कंपनी लि.—पीपीसीएल) और एक होलिडंग कंपनी (दिल्ली पावर कंपनी लि.—डीपीसीएल) शामिल हैं। जहां वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) निजी कंपनियां हैं, वहीं अन्य सभी सरकार के स्वामित्व में हैं। फिलहाल दिल्ली में बिजली कंपनियों को वित्तीय मदद दी जा रही है। जैसे डीपीसीएल को केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों की देनदारियों को निपटाने के लिए और 400 यूनिट से कम मासिक खपत करने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 1 मार्च, 2015 से 50 प्रतिशत सब्सिडी। पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में राराक्षे दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की देनदारियों को निपटाने और लोगों को बिजली सब्सिडी देने के लिए 2939.99 करोड़ रुपये जारी किये। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का बकाया और विद्युत सब्सिडी के लिए खर्च पूरा करने के लिए 2021-22 (ब.अ.) में 3090.00 रुपये का प्रावधान किया गया।

42 स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

42.1 नागरिक प्रशासन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पांच इलाकों में बांटा गया है जो एक—दूसरे से अलग, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इनके नाम हैं उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली

छावनी बोर्ड। पहले तीन नये नगर निगम पूर्ववर्ती दिल्ली नगर निगम के तीन हिस्से किये जाने से बने हैं। विभाजन से बने इन तीन नये नगर निगमों के इलाके और आबादी के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है। 2011 की जनगणना पर आधारित दिल्ली नगर निगम, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड के क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व के आंकड़े विवरण 4.19 में दिये गये हैं।

विवरण 4.19

दिल्ली में स्थानीय निकायों का अनुमानित क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व

(अनुमानित)

क्र.	स्थानीय निकाय	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या (लाख)	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी लोग)
1.	दिल्ली नगर निगम	1397.29	164.20	11751
2.	नई दिल्ली नगर परिषद	42.74	2.58	6032
3.	दिल्ली छावनी बोर्ड	42.97	1.10	2568
4.	कुल	1483.00	167.88	11320

40.2 2016–17 से 2021–22(ब.अ.) के दौरान नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, व्यय और अंतिम शेष की स्थिति को विवरण 4.20 और चार्ट 4.14 में प्रदर्शित किया गया है।

विवरण 4.20

नयी दिल्ली नगर परिषद की वित्तीय स्थिति 2016–17 से 2021–22 (ब.अ.)

(करोड़ रु. में)

क्र.	मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (RE)	2021-22 (BE)
1	प्रारंभिक शेष *	4679.83	4891.55	5430.68	6103.54	6154.10	6290.28
2	प्राप्तियां	3465.20	3622.31	3976.32	3648.39	3645.25	4299.00
3	व्यय	3053.21	3186.16	3359.93	3687.97	3509.07	4126.53
4	उपचित के लिए निवल समायोजन (+/-)	-200.27	102.95	56.47	90.14	0.00	0.00
5	अंतिम शेष	4891.55*	5430.65*	6103.54*	6154.10*	6290.28	6462.75


स्रोत : नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद

* शेष में नकदी और बैंक शेष के साथ-साथ अर्जित मद भी शामिल हैं

चार्ट 4.14

नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद की वित्तीय स्थिति 2016-17 से 2021-22(ब.अ.)

(करोड़ रुपये में)



40.3 निम्नलिखित विवरण 4.21 में पूर्ववर्ती दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 2016-17 से 2021-22 (ब.अ.) तक के आय और व्यय तथा इसके तीन नये संगठनों यानी उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आय-व्यय को दर्शाया गया है।

विवरण 4.21**दिननि का 2016–17 से 2021–22(ब.अ.) के दौरान गैर–योजना आय और व्यय**

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (RE)	2021-22 (BE)
उत्तरी दिल्ली नगर निगम							
1	प्रारंभिक अधिशेष	306.33	464.54	366.85	83.91	38.93	1026.42
2(क)	प्राप्तियां	3174.66	3490.74	3993.81	3816.50	6872.35	6701.87
(ख)	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार जे ज्ञा	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग)	आंतरिक उधार	0.00	0.00	0.00	482.50	0.00	0.00
3	कुल प्राप्तियां (का.ज्ञा)	3374.66	3490.74	3993.81	4299.00	6872.35	6701.87
4	व्यय	3216.45	3588.43	4276.75	4343.98	5884.86	7727.04
5	अंतिम शेष	464.54	366.85	83.91	38.93	1026.42	1.25
दक्षिण दिल्ली नगर निगम							
1	प्रारंभिक अधिशेष	665.96	1295.97	1366.51	1454.90	1319.80	156.89
2	प्राप्तियां	3954.97	4048.06	4040.49	3698.51	3799.56	4894.16
3	व्यय	3324.96	3977.52	3952.10	3833.61	4962.48	5048.20
4	अंतिम शेष	1295.97	1366.51	1454.90	1319.80	156.88	2.84
पूर्वी दिल्ली नगर निगम							
1	प्रारंभिक अधिशेष	78.26	172.35	273.12	459.47	547.11	626.96
2	प्राप्तियां	1681.13	1738.38	2487.37	2073.92	3177.06	4522.11
3	व्यय	1587.04	1637.61	2301.02	1986.28	3097.21	4668.95
4	अंतिम शेष	172.35	273.12	459.47	547.11	626.96	480.12

स्रोत : दिल्ली नगर निगम

41. दिल्ली सरकार का कार्यक्रमों /परियोजनाओं के लिए वार्षिक परिव्यय हेतु वित्त पोषण

41.1 दिल्ली की वार्षिक योजना के लिए वित्त पोषण का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा अन्य राज्यों में है। लेकिन दिल्ली को विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा राज्यों के लिए की गयी सिफारिशों का फायदा नहीं मिलता और यह अपनी योजना के वित्तपोषण के लिए बाजार से उधार/अनुबंधित ऋण/भविष्य निधि आदि का सहारा भी नहीं ले सकता। निम्नलिखित विवरण 4.22 में 2016–17 से 2021–22 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली की संसाधन उपलब्धियां दर्शायी गई हैं।

41.2 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 2017–18 से योजना व्यय और गैर–योजना व्यय का विलय कर दिया गया। अतः अब वर्गीकरण योजना और गैर–योजना व्यय के स्थान पर कार्यक्रम /परियोजनाओं तथा स्थापना व्यय के रूप में किया गया है।

विवरण 4.22 (क)
2017-18 से 2020-21 के दौरान संसाधनों की उपलब्धियां (ब.अ.)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं	मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (Prov.)	2021-22 (BE)
1	कर राजस्व (I से V)	35717.02	36624.67	36565.87	29425.34	43000.00
i	वैट/एसजीएसटी	24770.01	25072.32	24939.62	20087.35	30000.00
a	वैट	11149.17	5885.75	5474.67	4411.20	6200.00
b	एसजीएसटी	13620.84	19186.57	19464.95	15676.15	23800.00
ii	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4118.58	4458.73	4609.01	3552.98	5000.00
iii	मोटर वाहनों पर कर	2115.76	2054.75	1948.09	1676.18	2000.00
iv	राज्य आबकारी	4453.49	5028.19	5068.01	4108.15	6000.00
v	अन्य कर	259.18	10.68	1.14	0.68	0.00
a	मनोरंजन कर (केबल टीवी कर समेत)	83.76	1.86	0.09	0.04	0.00
b	सट्टेबाजी कर	5.40	-1.13	0.01	-0.01	0.00
c	विलासिता कर	170.02	9.95	1.04	0.65	0.00
2	स्वयं गैर कर राजस्व	766.06	644.17	1096.89	979.67	1000.00
3	पूंजी प्राप्तियां	690.42	1643.90	822.65	631.48	1000.00
4	केंद्रीय करों में हिस्सेदारी	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
5	जीएसटी/ वैट/ सीएसटी क्षतिपूर्ति	847.53	4182.00	7436.00	5521.65	6000.00
6	केंद्रीय योजना सहायता (सीएसएस सहित)	581.74	807.03	1169.48	1441.46	2087.60
7	भारत सरकार से अन्य अनुदान/प्राप्तियां	429.92	529.74	542.56	4170.49	657.50
8	लघु बचत निधि	1906.34	2800.00	4540.60	9500.00	9284.86
9	ईएपी के तहत ऋण	0.00	80.00	225.00	0.00	0.01
10	जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ब्लॉक ऋण	0.00	0.00	0.00	5865.00	0.00
11	प्रारंभिक शेष	2635.34	2972.52	4363.14	5900.94	5645.03
12	कुल निधियां	43899.37	50609.03	57087.19	63761.03	69000.00
13	कुल व्यय	40926.85	46245.89	51186.26	52468.04	69000.00
i	स्थापना एवं प्रशासन व्यय	26735.37	30627.19	30906.45	33244.75	31200.00
a	राजस्व	24446.47	26799.82	27394.79	28878.92	26708.33
b	पूंजी	2288.90	3827.37	3511.65	4365.83	4491.67
ii	कार्यक्रम व्यय	14191.48	15618.70	20279.81	19223.29	37800.00
a	राजस्व	9307.55	10051.76	12242.22	11534.70	25091.03
b	पूंजी	4883.93	5566.94	8037.59	7688.59	12708.97

विवरण 4.22 (ख)**2013-14 से 2016-17 के दौरान संसाधनों की उपलब्धियां**

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
क	कर राजस्व	25918.69	26603.90	30225.16	31139.89
1	वैट	17925.71	18289.31	20245.82	21144.24
2	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (भू राजस्व सहित)	2969.08	2841.67	3434.11	3145.94
3	मोटर वाहनों पर कर	1409.27	1558.83	1607.01	1808.78
4	राज्य आबकारी	3151.63	3422.39	4237.69	4251.40
5	वस्तु और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (i से iii)	463.00	491.70	700.53	789.53
i	मनोरंजन कर (केबल टीवी कर समेत)	146.14	150.84	241.28	264.07
ii	सट्टेबाजी कर	10.10	9.88	19.28	33.29
	विलासिता कर	306.76	330.98	439.97	492.17
ख	स्वयं गैर कर राजस्व	659.14	632.55	515.40	380.69
1	ब्याज	379.35	350.52	82.53	81.39
2	लाभांश और लाभ		12.90	12.32	11.28
3	सेवा प्रभार और अन्य	279.79	269.13	420.55	288.02
ग	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	325.00	325.00	325.00	325.00
घ	भारत सरकार से गैर योजना अनुदान	1.91	2.95	2580.02	793.72
ड	राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	26904.74	27564.40	33645.58	32639.30
च	निवल गैर योजना व्यय	14904.25	15563.19	17963.23	20585.32
छ	वर्तमान राजस्व शेष (ड-च)	12000.49	12001.21	15682.35	12053.98
ज	विविध पूँजी प्राप्तियां (1-2)	-777.86	-1169.64	-2214.27	-2361.99
1	गैर राजस्व व्यय	4129.30	227.61	83.42	212.49
2	गैर योजना पूँजी व्यय	4907.16	1397.25	2297.69	2574.48
झ	लघु बचत ऋण	836.50	1764.32	2241.13	1695.53
ञ	दिल्ली के स्वयं संसाधन (प्रारंभिक शेष छोड़कर) (छ+ज+झ)	12059.13	12595.89	15709.21	11387.52
ट	केन्द्रीय योजना सहायता	1075.95	1550.19	1303.27	1706.44
ठ	भारत सरकार से अन्य अनुदान	0.00	470.00	50.00	0.00
ड	वार्षिक योजना के लिए समग्र संसाधन (प्रारंभिक शेष छोड़कर) (ञ+ट+ठ)	13135.08	14616.08	17062.48	13093.96
ঢ	प्रारंभिक शेष	1985.74	880.64	1517.06	3644.94
ণ	वार्षिक योजना के लिए समग्र संसाधन (प्रारंभिक शेष सहित) (ঢ+ঢ)	15120.82	15496.72	18579.54	16738.90
ত	योजना व्यय/परिव्यय	14240.19	13979.66	14934.60	14103.56
i	योजना	13927.49	13378.95	14145.70	13204.54
ii	केन्द्र प्रायोजित योजना	312.70	600.71	788.90	899.02
থ	संसाधन अधिशेष (ণ-ত)	880.63	1517.06	3644.94	2635.34